



ELEVATION




SITE PLAN

GROUND FLOOR PLAN




PART OF MAHARAJA




KEY PLAN

25 MM TH. FLOOR FINISH  
75 MM TH. L.C.  
EARTH FILLING



SECTION AT A-B



FOUNDATION DETAIL OF 230 TH. WALL

FOUNDATION DETAIL OF 115 TH. WALL

PROPOSED SEED PROCESSING CENTER MAP OF M/s LUCKNOW HIM GREEN CITY PVT. LTD. AT KHASARA NO. 6 & 7, VILL.- BHUHERA, PAR. DEVA, TEH.- NAWABGANJ, DISTT. - BARABANKI.

AREA STATEMENT

- 1. NET PLOT AREA = 3600 SQM
- 2. TOTAL COVD. AREA = 359.95 SQM
- 3. TOTAL OPEN AREA = 3240.05 SQM

A. GATE = 28.00 MC. X 0.20 MC.  
B. BUILDING = 18.29 MC. X 11.72 MC.

NOTE: Area Statement by Ground coverage.

OPENING SCHEDULE

Sl. NO	TYPE	SIZE	SEAL LVL.	FIN. LVL.	REMARKS
1.	DW	2400X2100	± 0.00	2100	DOOR
2.	D	1800X2100	± 0.00	2100	DOOR
3.	DI	900X2100	± 0.00	2100	DOOR
4.	DI	2700X2100	± 0.00	2100	DOOR
5.	W	1200X1200	+ 0.00	2100	WIN.
6.	W	1200X1200	+ 0.00	2100	WIN.
7.	V	600X1000	+1500	2100	VEN.

DETAILS OF BOUNDARIES



- 1. IN EAST
- 2. IN WEST
- 3. IN NORTH
- 4. IN SOUTH



DATE: 28-09-2020

SIGN OF OWNERS: [Signature]  
SIGN OF ARCHITECTS: [Signature]


VECTORSPACE ARCHITECTS, INTERIOR DESIGNERS, CONSULTANTS  
B1, FIRST FLOOR, 'PRAJAY' COMPLEX, FAZLADABAD ROAD, LUCKNOW  
DIAL - 0522




SITE PLAN



KEY PLAN





GROUND FLOOR PLAN



Original Project, structure, foundation, etc. are to be checked by the client before starting the work. The contractor is responsible for the quality of the work and the safety of the workers. The contractor is also responsible for the timely completion of the work.

25 MM TH. FLOOR FINISH  
75 MM TH. L.C  
EARTH FILLING

SECTION AT A-B



PROPOSED SEED PROCESSING CENTER MAP OF M/S LUCKNOW HM GREEN CITY PVT. LTD. AT KHASARA NO. 6 & 7, VILL.- BHURHA, PAR. DEVA, TEH.- NAWABGANJ, DISTT. BARABANKI.

AREA STATEMENT

- NET PLOT AREA = 3600 SQM.
- TOTAL COND. AREA = 259.53 SQM.
- TOTAL OPEN AREA = 3340.47 SQM.

A. DATE = 26.09.19. 1.05.20.19.  
B. BUILDING = 18.15.19. X 11.17.19. M.

OPENING SCHEDULE

S.NO	TYPE	SIZE	FILL LVL.	LIN. LVL.	REMARKS
1.	OW	2400X2100	+ 8.00	2100	DOOR
2.	OW	1875X2100	+ 0.00	2100	DOOR
3.	OW	900X2100	+ 8.00	2100	DOOR
4.	OW	750X2100	+ 8.00	2100	DOOR
5.	WC	1300X2200	+ 8.00	2200	W.C.
6.	WC	1300X2200	+ 8.00	2200	W.C.
7.	V	600X600	+ 1.50	2150	V.T.N.

DETAILS OF BOUNDARIES

1. IN EAST
2. IN WEST
3. IN NORTH
4. IN SOUTH



SIGN. OF OWNER'S ARCHITECTS

SIGN. OF ARCHITECTS

VECTORSPACE  
ARCHITECTS, INTERIOR DESIGNERS,  
CONSULTANTS & CONTRACTORS  
CONSULTANTS  
PLOT NO. 6, PHASE II, KANPUR ROAD, LUCKNOW  
PIN - 226012

(नियम 24 का उपनियम 2 देखिए)

# केवल निर्माण अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए प्रपत्र

प्रेषक,

नियत प्राधिकारी  
विनियमित क्षेत्र, बाराबंकी  
जिला-बाराबंकी (उत्तर प्रदेश)

सेवा में,

मैसर्स कब्रतन माण्डिण द्वारा त्रिद्वैवाक  
अधुबकर कमरुद्दीन 3/0 कमरुद्दीन खान  
ग्राम भूदेवा जहाद - बाराबंकी ।

महोदय,

कालोनी मार्ग..... ग्राम भूदेवा..... मोहल्ला/बाजार.....  
नगर बाराबंकी के प्लॉट..... घर के खसरा सं० 06 खं 07  
भवन सं०..... /में निर्माण/सारवान/परिवर्तन/गिराने के  
लिए अनुज्ञा देने के आपके आवेदन-पत्र..... 164/2020 दिनांक 09/10/2020

के संदर्भ में आपको सूचित करना है कि नियत प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित आधारों पर स्वीकृति दे दी गयी है/देने से इन्कार कर दिया है-

1. स्वामित्व विवादित पाये जाते पर सहायित स्वतः निरस्त समझा जाएगा ।
2. निर्माण के पश्चात Completion Certificate प्राप्त करना होगा ।
3. निर्माण शुरू करना सीधी करना होगा ।
4. प्रस्तुतित शर्त पर निम्नानुसार धमाकार वृक्ष काटे होंगे ।
5. सहायित स्वीकृत तिथि से 5 वर्ष तक मान्य होगा ।
6. सहयुक्त नियोजक के पत्र नैमो/मा.आ./वि०.क्षेत्र-बाराबंकी/2020-21 दिनांक 12.10.2020 में दी गयी शर्तों का पूर्णतया पालन करना होगा । एवं 24ल का उपयोग केवल सीड प्रो. रेसिग केंद्र हेतु किया जाएगा किसी अन्य उपयोग हेतु नहीं ।
7. भारत सरकार के परवर्तन वल व जलवायु परिवर्तन संलाकन की अधिसूचना दिनांक 25 जनवरी 2018 में दी गयी शर्तों का पूर्णतया पालन करना होगा ।

संलग्नक :-

- 1- स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति ।
- 2- भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 25 जनवरी, 2018 की छायाप्रति ।
- 3- सहयुक्त नियोजक अयोध्या का पत्र मेमो/मा.आ./वि०.क्षेत्र-बाराबंकी/2020-21 दिनांक 12.10.2020 की छायाप्रति ।

कार्यालय सूचना संख्या..... 164/2020  
दिनांक ..... स्वीकृत 20-11-2020



*(Signature)*  
नियत प्राधिकारी  
विनियमित क्षेत्र, बाराबंकी ।

## कार्यालय जिला पंचायत, बाराबंकी

परमिट संख्या: 232/मानचित्र/जि0पं0/2022-23 दिनांक: 26 मई, 2022

- 1-श्री अबुबकर कमरुद्दीन पुत्र कमरुद्दीन खान,  
निदेशक,  
लखनऊ एच0एम0 ग्रीन सिटी,  
निवासी-125/2 ख, जे0सी0 बोस मार्ग,  
3 क्विन्टन रोड लालबाग, जनपद लखनऊ
- 2-श्री शफीक उल्लाह पुत्र अजीमउल्लाह,  
निवासी-फ्लैट नं0-4, फ्लोर स्क्वेर काम्प्लेक्स,  
मतीनपूर्वा, शंकरपुरवा, विकास नगर, लखनऊ ।

### अनुज्ञा-पत्र

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 19-05-2022 के साथ संलग्न मानचित्र में प्रदर्शित भूमि गाटा संख्या-1843घ/0.317हे0, 1843ड/0.111हे0 व 1843घ/0.133हे0 स्थित ग्राम खसपरिया, परगना देवा, तहसील नवाबगंज, जनपद बाराबंकी में लखनऊ एच0एम0 ग्रीन सिटी प्रा0लि0 के नाम से ले-आउट प्लान निर्माण हेतु भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल 5609.48 वर्गमीटर के सापेक्ष भू-आच्छादन 57.91 प्रतिशत, पार्क का क्षेत्रफल 908.37 वर्ग मीटर, सड़क मार्ग का क्षेत्रफल 1360.26 वर्गमीटर छोड़ते हुए प्लाटिंग हेतु कुल कवर्ड एरिया 3248.30 वर्ग मीटर हेतु प्रस्तावित मानचित्र की स्वीकृति सम्यक विचारोपरान्त दिनांक 24-05-2022 को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

स्वीकृति दिनांक 24-05-2022 के अनुक्रम में उपर्युक्त मानचित्र जिला पंचायत बाराबंकी की भवन निर्माण उपविधि दिनांक 18 अप्रैल, 2020 के उपबन्धों के अधीन तथा निम्नलिखित उपबन्धों/प्रतिबंध सहित स्वीकार किया जाता है।

- (1) अनुज्ञा पत्र जारी करने के उपरान्त यदि संज्ञान में आता है कि नक्शा स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी है अथवा गलत है, तो जिला पंचायत द्वारा की गयी स्वीकृति स्वयं में निरस्त मानी जायेगी। निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील किया जा सकता है।
- (2) मानचित्र स्वीकृति के उपरान्त आवेदक द्वारा लोक निर्माण विभाग, अग्निशमन विभाग, प्रदूषण विभाग, पर्यावरण विभाग, वाणिज्य कर विभाग, जिला प्रशासन एवं अन्य विभागों से यथा आवश्यक लाइसेंस/अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यस्थल पर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्माण कार्य कुशल एवं दक्ष आर्किटेक्ट/इंजीनियर की देख-रेख में कराना होगा।
- (3) समस्त सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा/अनापत्ति प्राप्त न किये जाने की दशा में परमिट स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- (4) प्रतिबंध यह रहेगा कि प्रस्तावित भवन निर्माण कार्य करते समय तथा निर्माण अवधि में कोई भी निर्माण सामग्री सम्मुख मार्ग पर एकत्रित/अतिक्रमण नहीं किया जायेगा।
- (5) स्वीकृत नक्शे के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अतिक्रमण की अनुमति नहीं है।
- (6) प्रतिबंध यह रहेगा कि आवेदक द्वारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट स्थापित कर जलमल/सीवरेज/उत्सर्जित पदार्थ का निस्तारण पर्यावरण/प्रदूषण विभाग के मानकों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाये।
- (7) प्रतिबंध यह रहेगा कि मुख्य मार्ग के मध्य बिन्दु से निर्माण स्थल की प्रतिबन्धित दूरी के सम्बन्ध में रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल रूल्स/लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग के नियम यथावत लागू रहेंगे।
- (8) प्रतिबंध यह रहेगा कि ले-आउट प्लान निर्माण कार्य मानचित्र के अनुसार कुल कवर्ड एरिया भवन 3248.30 वर्ग मीटर एवं ओपन एरिया 2361.18 वर्ग मीटर से ही निर्माण कार्य प्रतिबन्धित होगा।
- (9) प्रतिबंध यह रहेगा कि 12 मीटर सड़क के दोनों ओर व 09 मीटर सड़क के एक ओर तथा ग्रीन एरिया में अधिकतम 10-10 मीटर की दूरी पर वृक्षारोपण अनिवार्य रूप से करना होगा।
- (10) प्रतिबंध यह रहेगा कि प्रस्तावित भूमि का विकास कार्य नहर की सीपेज ड्रेन एवं रेत नाला/नदी के डूब क्षेत्र को छोड़कर तथा सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही कराया जायेगा अन्यथा की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- (11) प्रतिबंध यह रहेगा कि रेनवाटर हार्वेस्टिंग पद्धति को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा।
- (12) प्रतिबंध रहेगा कि समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश व सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाना अनिवार्य व बन्धनकारी होगा।
- (13) प्रतिबंध यह रहेगा कि विक्रेता द्वारा सम्पत्ति को खरीदारों में बिक्री से पूर्व भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश (RERA) में पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराना होगा।
- (14) सड़क, नाली, सीवर लाईन, बिजली व मार्ग प्रकाश, ग्रीन एरिया, जलापूर्ति प्रणाली, पार्क, वाटर बाडी आदि समस्त विकास कार्य पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा तथा समस्त विकास कार्य पूर्ण कराये जाने के उपरान्त ही प्लॉटों की बिक्री प्रारम्भ की जायेगी।
- (15) तल पट निर्माण में श्रम विभाग के प्राविधानों का पालन करते हुए आवश्यक सेस कर का भुगतान श्रम विभाग को तल पट स्वामी/संस्था द्वारा करना होगा।
- (16) भारत सरकार अथवा उ०प्र० सरकार एवं पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक स्मारक, ईमारत या स्थल के 200 मीटर के दायरे में निर्माण अनुमन्य नहीं है।
- (17) कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, फर्म या संस्था, राजकीय विभाग अथवा ठेकेदार आदि द्वारा प्रस्तावित मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत होने के बावजूद अन्य सभी विभागों से जिनसे लाइसेंस/अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जाना आवश्यक है, अनुमति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- (18) स्वीकृत मानचित्र में इलेक्ट्रिक लाइन से ऊर्ध्वाकार दूरी 3.70+(0.305 मीटर) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज एवं 1.80+(0.305 मीटर) प्रत्येक 33000 वोल्टेज पर क्षैतिज दूरी सुनिश्चित की जाएगी।
- (19) राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रस्तावित स्थल की दूरी मार्ग के मध्य से 67.10 मीटर और सम्पर्क मार्ग से अथवा गलियारे से 10 मीटर होना आवश्यक है।
- (20) निर्माण कार्य की स्वीकृति हेतु निर्गत अनुज्ञा के दिनांक से 03 वर्ष के अन्दर निर्माण कार्य पूरा करना होगा यदि किसी कारण से निर्माण उक्त निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं हुआ तो आवेदक/संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पुनः विचार कर निर्माण कार्य की अवधि बढ़ाई जा सकती है, किन्तु यह अवधि किसी भी दशा में पुनः स्वीकृति के दिनांक से दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (21) उपरोक्त स्वीकृत मानचित्र में अथवा निर्माण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एवं परिवर्धन बिना जिला पंचायत की स्वीकृति के नहीं किया जायेगा।
- (22) किसी भी प्रकार के भूमि व अन्य विवाद के उत्पन्न होने पर जिला पंचायत, बाराबंकी इसका उत्तरदायी नहीं होगा तथा न्यायिक क्षेत्राधिकार जिला एवं सत्र न्यायालय, बाराबंकी होगा। स्वामित्व विवादित पाये जाने पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- (23) स्वीकृत मानचित्र तथा परमिट किसी भी दशा में स्वामित्व अभिलेख के रूप में मान्य नहीं होगा तथा न ही इस रूप में प्रयुक्त होगा।
- (24) प्रस्तावित भूखण्ड पर स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही निर्माण कार्य कराया जायेगा। भविष्य में अतिरिक्त कार्य कराये जाने हेतु पुनः मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा।
- (25) स्वीकृत मानचित्र में प्रदर्शित एरिया सार्वजनिक उपयोग की भूमि जैसे चकमार्ग, नाली, तालाब, मरघट, चारागाह व नवीन परती भूमि, बाराबंकी की महायोजना से आच्छादित भूमि, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, विद्युत विभाग, अग्निशमन विभाग, वन विभाग, रेलवे विभाग व अन्य आवश्यक विभाग की भूमि होने पर स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।

अभियन्ता,  
जिला पंचायत, बाराबंकी


अपर मुख्य अधिकारी,  
जिला पंचायत बाराबंकी

पृष्ठांकन संख्या: /मानचित्र/जि०प०/2021-22तददिनांकित।

प्रतिलिपि : सचिव, उ०प्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, लखनऊ की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य अधिकारी,  
जिला पंचायत, बाराबंकी।

PROPOSED LAY-OUT PLAN MAP OF -SRI SHAFEEK ULLAH SO. SRI AJEEM ULLAH AND LUCKNOW HM GREEN CITY PVT.LTD. BY DIRECTOR -SRI. ABUBAKAR SO. KAMRUDEEN KHAN SITUATED AT, KHASRA NO.-184(YANGA) 184(DHAI) 184(GHA) VILLAGE-KHASPARIYA, PARGANA-DEWA, TAHSIL-NAWABGANJ, BARABANKI




LAY-OUT PLAN  
SCALE: 1:1000

ROAD SECTION  
SCALE: 1:100




SAJARA PLAN




Handwritten notes and signatures in the bottom right corner of the technical drawings.

PLOT OF OTHERS



SITE PLAN  
SCALE: 1:1000



KEY PLAN

- DETAIL PLOTS OF AREA
- 01-07/184(Y) 184(S) SQFT. - 184(Y) 184(S) SQFT.
  - 08-14/184(Y) 184(S) SQFT. - 184(Y) 184(S) SQFT.
  - 15-21/184(Y) 184(S) SQFT. - 184(Y) 184(S) SQFT.
  - 22-28/184(Y) 184(S) SQFT. - 184(Y) 184(S) SQFT.
  - 29-35/184(Y) 184(S) SQFT. - 184(Y) 184(S) SQFT.
  - 36-42/184(Y) 184(S) SQFT. - 184(Y) 184(S) SQFT.
  - 43-49/184(Y) 184(S) SQFT. - 184(Y) 184(S) SQFT.
  - 50-56/184(Y) 184(S) SQFT. - 184(Y) 184(S) SQFT.
  - 57-63/184(Y) 184(S) SQFT. - 184(Y) 184(S) SQFT.
  - 64-70/184(Y) 184(S) SQFT. - 184(Y) 184(S) SQFT.
  - 71-77/184(Y) 184(S) SQFT. - 184(Y) 184(S) SQFT.
  - 78-84/184(Y) 184(S) SQFT. - 184(Y) 184(S) SQFT.
  - 85-91/184(Y) 184(S) SQFT. - 184(Y) 184(S) SQFT.
  - 92-98/184(Y) 184(S) SQFT. - 184(Y) 184(S) SQFT.
  - 99-105/184(Y) 184(S) SQFT. - 184(Y) 184(S) SQFT.
  - 106-112/184(Y) 184(S) SQFT. - 184(Y) 184(S) SQFT.
  - 113-119/184(Y) 184(S) SQFT. - 184(Y) 184(S) SQFT.
  - 120-126/184(Y) 184(S) SQFT. - 184(Y) 184(S) SQFT.
  - 127-133/184(Y) 184(S) SQFT. - 184(Y) 184(S) SQFT.

STATEMENTS

TOTAL LAND AREA = 699.48 SQFT. - 100%

SAV PLOT AREA = 254.20 SQFT. - 37.91%

PARK AREA = 98.27 SQFT. - 14.20%

ROAD AREA = 180.28 SQFT. - 25.91%

OPEN AREA = 92.58 SQFT. - 13.28%

REFERENCES

DRAWING

R.W.A. O R.W.A.


ELECTRIC POLE T

PROPOSED ROAD

EXISTING ROAD



WATER SUPPLY

STP.



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including 'Approved' and 'As Issued'.


PROPOSED LAY-OUT PLAN MAP OF -SRI SHAFEEK ULLAH S/O. SRI. AJEEM ULLAH AND LUCKNOW IM GREEN CITY PVT.LTD. BY DIRECTOR -SRI. AUBAKAR S/O. KAMRUDDIN KHAN SITUATED AT, KHASRA NO. 184(ANCA), 184(MDHA), 184(GHA) VILLAGE- KHASPARIYA, PARGANA-DEWA, TAHSIL-NAWABGANJ, BARABANKI.



LAY-OUT PLAN  
SCALE: 1:1000




SAJARA PLAN




WATER SUPPLY SYSTEM

Handwritten notes and signatures in the left margin, including a signature and some illegible text.

- DETAIL PLOTS OF AREA
- 01. 12.00 SQMT. - 184(ANCA) SQMT.
  - 02. 12.00 SQMT. - 184(MDHA) SQMT.
  - 03. 12.00 SQMT. - 184(GHA) SQMT.
  - 04. 12.00 SQMT. - 184(ANCA) SQMT.
  - 05. 12.00 SQMT. - 184(MDHA) SQMT.
  - 06. 12.00 SQMT. - 184(GHA) SQMT.
  - 07. 12.00 SQMT. - 184(ANCA) SQMT.
  - 08. 12.00 SQMT. - 184(MDHA) SQMT.
  - 09. 12.00 SQMT. - 184(GHA) SQMT.
  - 10. 12.00 SQMT. - 184(ANCA) SQMT.
  - 11. 12.00 SQMT. - 184(MDHA) SQMT.
  - 12. 12.00 SQMT. - 184(GHA) SQMT.
  - 13. 12.00 SQMT. - 184(ANCA) SQMT.
  - 14. 12.00 SQMT. - 184(MDHA) SQMT.
  - 15. 12.00 SQMT. - 184(GHA) SQMT.
  - 16. 12.00 SQMT. - 184(ANCA) SQMT.
  - 17. 12.00 SQMT. - 184(MDHA) SQMT.
  - 18. 12.00 SQMT. - 184(GHA) SQMT.
  - 19. 12.00 SQMT. - 184(ANCA) SQMT.
  - 20. 12.00 SQMT. - 184(MDHA) SQMT.
  - 21. 12.00 SQMT. - 184(GHA) SQMT.
  - 22. 12.00 SQMT. - 184(ANCA) SQMT.
  - 23. 12.00 SQMT. - 184(MDHA) SQMT.
  - 24. 12.00 SQMT. - 184(GHA) SQMT.



KEY PLAN



SITE PLAN  
SCALE: 1:1000

AREA STATEMENTS

TOTAL LAND AREA	= 509.48 SQMT. - 100%
SAV MOT AREA	= 22.88 SQMT. - 5.91%
ROAD AREA	= 190.25 SQMT. - 37.35%
OPEN AREA	= 91.55 SQMT. - 48.85%

REFERENCES

BRAIN LINE	—
R.W.E	○ R.W.E
ELECTRIC POLE	T
PROPOSED ROAD	—
EXISTING ROAD	—
WATER SUPPLY	—
STP	□ STP




Handwritten signature and name of the engineer.

Handwritten signature and name of the architect.








PROPOSED RESIDENTIAL MAP OF - SMT. BASRA KHATOON W/O. SRI. MAOULINA HAFIZ HIZULLAH AND SMT. SEMA AUBAKAR W/O. AUBAKAR KAMRUDEEN SITUATED AT KHASKA NO. 184(GHA) VILLAGE- KHASPARIYA, PARGANA- DEWA, TAHSIL- NAWABGANJ, BARABANKI.



FRONT ELEVATION




SECTION A-A-B




SAJARA PLAN




GROUND FLOOR PLAN




FIRST FLOOR PLAN




TERRACE FLOOR PLAN



SITE PLAN



KEY PLAN



AREA STATEMENTS

TOTAL LAND AREA	= 281.54 SQ.M.
COVERED AREA	= 141.54 SQ.M.
OPEN AREA	= 140.00 SQ.M.
COVERED AREA	= 141.54 SQ.M.
TOTAL COVERED AREA	= 283.08 SQ.M.

DETAIL DOOR & WINDOW

DOOR - D - 6/10 X 2/0 M  
 WINDOW - W - 6/10 X 1/8 M

REFERENCES

- DRAWING
- SEWER LINE
- RAIN WATER PIPE
- PROPOSED WORK
- EXISTING WORK



*Basra*  
 ARCHITECT



ARCHITECT

NO. 1110  
 25/05/2020



Mob. : 9305559142

# PATEL BUILDING DESIGNER

Planner Designer & Estimator

Gurdwara Road, BEGAM GANJ Near-Lakhperabagh Chauraha, Barabanki

Ref. No. ....

Date : .....

## SUMMARY OF ESTIMATED - COST

The Estimated Cost Of Proposed Residential Building Plan Of,  
**SMT. Basra Khatoon W/O Sri. Maulana Hafiz Hafizullah & Smt. Seema**  
**Abubakar W/o. Abubakar Kamrudeen** Situated At Khasra No.- 1843  
(GHA)., Village- Khaspariya , Pargana - Dewa, Tehsil- Nawabganj, District-  
Barabanki (U.P).

According to p.w.d.rate 2022 construction cost is as following-----

G.F. covered area      \_\_\_\_\_      143.94x18280 = 2631223.20

F.F. Covered area      \_\_\_\_\_      143.94x18280 = 2631223.20

Total amount      = 5262446.40

Electification/ water supply- 12% of total amount      = 631493.56

Grand Total      = 5893939.96

Labour cess 1% of total amount      - 58939.39

Say Rs.      = 58900.00

( Rupees fifty eighty Thousand nine Hundred Only)

  
ER. AJAY SRIVASTAVA

Er. Ajai Kumar  
Patel Building Designer  
Planner, Designer, Estimator Valuer  
L.No. 39/II/PA 202 :-22  
Regulated Area Barabanki

## कार्यालय जिला पंचायत, बाराबंकी

परमिट संख्या: 1110 / मानचित्र/जि0प0/2022-23 दिनांक: 28 सितम्बर, 2022

1-श्रीमती बासरा खातून

पत्नी मौलाना हफीजुल्लाह,  
निवासी बकौलीकलां, घनघटा,  
जिला संत कबीरनगर

2-श्रीमती सीमा अबूबकर

पत्नी श्री अबूबकर कमरुद्दीन,  
निवासी ग्राम कौडीया, पोस्ट तोवा सरॉयमीर,  
जिला आजमगढ़ ।

### अनुज्ञा-पत्र

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 19-09-2022 के साथ संलग्न मानचित्र में प्रदर्शित भूमि खसरा/गाटा संख्या-1843घ स्थित ग्राम खसपरिया, परगना देवा, तहसील नवाबगंज, जनपद बाराबंकी पर आवासीय भवन निर्माण हेतु कवर्ड एरिया 286.08 वर्ग मीटर एवं बाउण्ड्रीवाल की लम्बाई 35.42 मीटर हेतु प्रस्तावित मानचित्र की स्वीकृति सम्यक विचारोपरान्त दिनांक 24-09-2022 को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

स्वीकृति दिनांक 24-09-2022 के अनुक्रम में उपर्युक्त मानचित्र जिला पंचायत बाराबंकी की भवन निर्माण उपविधि दिनांक 18 अप्रैल, 2020 के उपबन्धों के अधीन तथा निम्नलिखित उपबन्धों/प्रतिबंध सहित स्वीकार किया जाता है।

- (1) अनुज्ञा पत्र जारी करने के उपरान्त यदि संज्ञान में आता है कि नक्शा स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी है अथवा गलत है, तो जिला पंचायत द्वारा की गयी स्वीकृति स्वयं में निरस्त मानी जायेगी। निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील किया जा सकता है।
- (2) मानचित्र स्वीकृति के उपरान्त आवेदक द्वारा लोक निर्माण विभाग, अग्निशमन विभाग, प्रदूषण विभाग, पर्यावरण विभाग, वाणिज्य कर विभाग, जिला प्रशासन एवं अन्य विभागों से यथा आवश्यक लाइसेंस/अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यस्थल पर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्माण कार्य कुशल एवं दक्ष आर्किटेक्ट/इंजीनियर की देख-रेख में कराना होगा।
- (3) प्रतिबंध यह रहेगा कि प्रस्तावित भवन निर्माण कार्य करते समय तथा निर्माण अवधि में कोई भी निर्माण सामग्री सम्मुख मार्ग पर एकत्रित/अतिक्रमण नहीं किया जायेगा।
- (4) प्रतिबंध यह रहेगा कि आवेदक द्वारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट स्थापित कर जलमल/सीवरेज/उत्सर्जित पदार्थ का निस्तारण पर्यावरण/प्रदूषण विभाग के मानकों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाये।
- (5) प्रतिबंध यह रहेगा कि मुख्य मार्ग के मध्य बिन्दु से निर्माण स्थल की प्रतिबन्धित दूरी के सम्बन्ध में रोड साइड लेण्ड कन्ट्रोल रूल्स/लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग के नियम यथावत लागू रहेंगे।
- (6) प्रतिबंध यह रहेगा कि आवासीय भवन निर्माण कार्य मानचित्र के अनुसार कुल कवर्ड एरिया भवन 286.08 वर्ग मीटर एवं ओपेन एरिया 65.90 वर्ग मीटर से ही निर्माण कार्य प्रतिबन्धित होगा।
- (7) प्रतिबंध यह रहेगा कि कम से कम 03 वृक्ष का वृक्षारोपण अनिवार्य रूप से करना होगा।
- (8) प्रतिबंध यह रहेगा कि प्रस्तावित भूमि का विकास कार्य नहर की सीपेज ड्रेन एवं रेत नाला/ नदी के डूब क्षेत्र को छोड़कर तथा सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही कराया जायेगा अन्यथा की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- (9) प्रतिबंध यह रहेगा कि भवन निर्माण अग्निशमन/सुरक्षा सम्बन्धी अन्य समस्त प्राविधानों (अनिवार्य रूप से) को स्थानीय मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र के अनुसार कराया जायेगा।

- (10) प्रतिबंध रहेगा कि समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश मान्य होगा।
- (11) प्रतिबंध यह रहेगा कि भवनों के स्ट्रक्चरल प्राविधानों को नेशनल बिल्डिंग कोड की सुरक्षा मानकों के अनुसार ही कराया जायेगा। यह उत्तरदायित्व भवन स्वामी/संस्था का होगा।
- (12) प्रतिबंध यह रहेगा कि रेनवाटर हार्वैस्टिंग पद्धति को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा।
- (13) भवन निर्माण में श्रम विभाग के प्राविधानों का पालन करते हुए आवश्यक सेस कर का भुगतान श्रम विभाग को भवन स्वामी/संस्था द्वारा करना होगा।
- (14) स्वीकृत मानचित्र में इलेक्ट्रिक लाइन से ऊर्ध्वाकार दूरी 3.70+(0.305 मीटर) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज एवं 1.80+(0.305 मीटर) प्रत्येक 33000 वोल्टेज पर क्षैतिज दूरी सुनिश्चित की जाएगी।
- (15) भवन में किसी शौचालय को गली की ओर खुला नहीं रखा जायेगा।
- (16) शौचालय का निर्माण पलस टाइप का होगा चाहिए, जिसके लिये सेप्टिक टैंक, टैंक व शोक पिट की व्यवस्था अनिवार्य होगी।
- (17) भारत सरकार अथवा उ0प्र0 सरकार एवं पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक स्मारक, ईमारत या स्थल के 200 मीटर के दायरे में निर्माण अनुमत्य नहीं है।
- (18) कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, फर्म या संस्था, राजकीय विभाग अथवा ठेकेदार आदि द्वारा प्रस्तावित मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत होने के बावजूद अन्य सभी विभागों से जिनसे लाइसेंस/अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जाना आवश्यक है, अनुमति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- (19) भवन की कुर्सी भवन के निकट गली, सड़क आदि से या खुले स्थान की सतह से कम से कम 30 सेमी0 रखी जाय। दी गयी आज्ञा केवल निर्माण के लिये होगी और इसका कांथित भूमि की सम्पत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (20) निर्माण कार्य की स्वीकृति हेतु निर्गत अनुज्ञा के दिनांक से 03 वर्ष के अन्दर निर्माण कार्य पूरा करना होगा यदि किसी कारण से निर्माण उक्त निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं हुआ तो आवेदक/संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पुनः विचार कर निर्माण कार्य की अवधि बढ़ाई जा सकती है, किन्तु यह अवधि किसी भी दशा में पुनः स्वीकृति के दिनांक से दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (21) उपरोक्त स्वीकृत मानचित्र में अथवा निर्माण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एवं परिवर्धन बिना जिला पंचायत की स्वीकृति के नहीं किया जायेगा।
- (22) किसी भी प्रकार के भूमि व अन्य विवाद के उत्पन्न होने पर जिला पंचायत, बाराबंकी इसका उत्तरदायी नहीं होगा तथा न्यायिक क्षेत्राधिकार जिला एवं सत्र न्यायालय, बाराबंकी होगा।
- (23) स्वीकृत मानचित्र तथा परगिट किसी भी दशा में स्वामित्व अभिलेख के रूप में मान्य नहीं होगा तथा न ही इस रूप में प्रयुक्त होगा।
- (24) प्रस्तावित भूखण्ड पर स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही निर्माण कार्य कराया जायेगा। भविष्य में अतिरिक्त कार्य कराये जाने हेतु पुनः मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा।
- (25) स्वीकृत मानचित्र में प्रदर्शित एरिया सार्वजनिक उपयोग की भूमि जैसे चकमार्ग, नाली, तालाब, मरघट, चारागाह व नवीन परती भूमि, बाराबंकी की महायोजना से आच्छादित भूमि, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, विद्युत विभाग, अग्निशमन विभाग, वन विभाग, शैले विभाग व अन्य आवश्यक विभाग की भूमि होने पर स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

अपर मुख्य अधिकारी,  
जिला पंचायत बाराबंकी

अभियन्ता,  
जिला पंचायत बाराबंकी

# HUMAIRA GARDEN

- 25' 0" X 65' 0" = 1625 SQFT
- 30' 0" X 55' 0" = 1650 SQFT
- 30' 0" X 65' 0" = 1950 SQFT
- 40' 0" X 45' 0" = 1800 SQFT
- 40' 0" X 55' 0" = 2200 SQFT
- 45' 0" X 45' 0" = 2025 SQFT
- 45' 0" X 55' 0" = 2475 SQFT
- 50' 0" X 45' 0" = 2250 SQFT
- 50' 0" X 55' 0" = 2750 SQFT
- 55' 0" X 45' 0" = 2475 SQFT
- 55' 0" X 55' 0" = 3025 SQFT
- 60' 0" X 45' 0" = 2700 SQFT
- 60' 0" X 55' 0" = 3300 SQFT
- 65' 0" X 45' 0" = 2925 SQFT
- 65' 0" X 55' 0" = 3575 SQFT



DEVELOPED BY:-  
**LUCKNOWHM GREEN CITY PVT. LTD.**  
 8 / 863 / 2, Vikas Nagar, Kurram Nagar Road,  
 Opp. Fatima Masjid, Lucknow.  
 e-mail : hmcity7374@gmail.com  
 Office : 0522-4301189



ROUTE MAP





## लखनऊ एच एम गोल्डेन सिटी

लाये हैं आप सबके लिए एक बेहद शानदार हाइटेक टाउनशिप में हाइवे फंजाबाद रोड पर

### आवासीय कालोनी

हर एक का सपना

**लखनऊ शहर में**

घर हो अपना



### सुविधायें

- कंसर्जेशन मार्केट • हॉस्पिटल • डॉल्फिन पार्क
- बालेवा • मैरिज हॉल • शॉपिंग कॉम्प्लेक्स
- सिविलीयटी गार्ड से लेस गेटेड कालोनी • इंगेन
- सिस्टम • स्ट्रीट लाइट • सीसीटीवीवी • कीमती
- ऑडि बूट से विशेषवादी एन सुविधाओं से युक्त टाउनशिप



### साइड से दूरी

T.L.M. हल्लिटल साइड से राखने	50 मी० की दूरी पर
लोक्ये वाइकड रो - रुम	50 मी० पर
ब्राइट नारुकी कार एक्सेसी	60 मी० की दूरी पर
नया बंगरा स्टप - साइड की सामने	200 मी० की दूरी पर
सगर इंजीनियरिंग कालेज	200 मी०
ताजपुरा कालेज	250 मी०
बागवकी शहर की दूरी	2 कि०मी०
रसोली रेलवे स्टेशन की दूरी	3 कि०मी०
साइड से लखनऊ शहर की दूरी	1.5 कि०मी०
साइड से एअरपोर्ट की दूरी	2.5 कि०मी०
साइड से हिन्दू मंदिरातन कालेज	6 कि०मी०

## हर एक का सपना लखनऊ शहर में घर हो अपना



Project of LUCKNOWHM Golden City

Presents


# GOLDEN CITY

Gated Hi-Tech Township

GOLDEN CITY



# GOLDEN CITY



**RESIDENTIAL PLOTS (EMI)**

30' x 40' = 1200 sq ft	40' x 40' = 1600 sq ft
30' x 50' = 1500 sq ft	40' x 50' = 2000 sq ft
30' x 60' = 1800 sq ft	40' x 60' = 2400 sq ft
30' x 70' = 2100 sq ft	40' x 70' = 2800 sq ft
30' x 80' = 2400 sq ft	40' x 80' = 3200 sq ft

**CORNER PLOTS (EMI)**

30' x 40' = 1200 sq ft	40' x 40' = 1600 sq ft
30' x 50' = 1500 sq ft	40' x 50' = 2000 sq ft
30' x 60' = 1800 sq ft	40' x 60' = 2400 sq ft
30' x 70' = 2100 sq ft	40' x 70' = 2800 sq ft
30' x 80' = 2400 sq ft	40' x 80' = 3200 sq ft

**HM GOLDEN CITY**  
 NARAI CHANDELA ROAD, BANARAS BRIDGE  
 HERO DEE AGENCY, MAIN, TANZOULI ROAD, BANARAS  
 DEVELOPER: HM GOLDEN CITY PVT. LTD.  
 REGD. OFFICE: 11, 101/1, 101/2, 101/3, 101/4, 101/5, 101/6, 101/7, 101/8, 101/9, 101/10, 101/11, 101/12, 101/13, 101/14, 101/15, 101/16, 101/17, 101/18, 101/19, 101/20, 101/21, 101/22, 101/23, 101/24, 101/25, 101/26, 101/27, 101/28, 101/29, 101/30, 101/31, 101/32, 101/33, 101/34, 101/35, 101/36, 101/37, 101/38, 101/39, 101/40, 101/41, 101/42, 101/43, 101/44, 101/45, 101/46, 101/47, 101/48, 101/49, 101/50, 101/51, 101/52, 101/53, 101/54, 101/55, 101/56, 101/57, 101/58, 101/59, 101/60, 101/61, 101/62, 101/63, 101/64, 101/65, 101/66, 101/67, 101/68, 101/69, 101/70, 101/71, 101/72, 101/73, 101/74, 101/75, 101/76, 101/77, 101/78, 101/79, 101/80, 101/81, 101/82, 101/83, 101/84, 101/85, 101/86, 101/87, 101/88, 101/89, 101/90, 101/91, 101/92, 101/93, 101/94, 101/95, 101/96, 101/97, 101/98, 101/99, 101/100, 101/101, 101/102, 101/103, 101/104

# अवध बिहार



## कॉलोनी

- गोल्डन सिटी लायने हैं नई प्लानिंग के साथ E.M.I पर प्लॉट 30% और 35% की दर से बुकिंग।
- गोल्डन सिटी में 48 से 60 माह की आसान किस्तों में प्लॉट उपलब्ध है।
- गोल्डन सिटी में ग्राहक को 1 से 10 तारीख तक किस्त जमा करने की सुविधा दी जाती है।
- किस्त की धनराशि कम्पनी के अकाउंट में NEFT/RTGS या कैश द्वारा भी जमा होगी।
- चेक बाउन्स होने पर बाउन्सिंग चार्ज देना होगा।
- समय के अनुसार किस्त जमा न होने पर रू0 500/- अतिरिक्त देय होगा।
- समय के अनुसार 3 माह तक किस्त नहीं जमा होने पर प्लॉट कौंसिल हो सकता है।
- बुक हुए प्लॉट को कौंसिल करने पर 15% धनराशि काट कर बाकी बची हुई रकम वापस होगी।
- कार्पर या पार्क फॉसिंग प्लॉट पर मात्र रू. 100/- अतिरिक्त देय होगा।

**मात्र**  
**रु.1099**  
 प्रति वर्ग फिट

## E.M.I STRUCTURE



<b>800 SQ. FT. 20X40</b> Down Payment 3,07,720/- EMI 11,905/- EMI Period 48 Months Total Payment 8,79,200/-	<b>1000 SQ. FT. 25X40</b> Down Payment 3,84,650/- EMI 14,882/- EMI Period 48 Months Total Payment 10,99,000/-	<b>1250 SQ. FT. 25X50</b> Down Payment 4,80,812/- EMI 18,602/- EMI Period 48 Months Total Payment 13,73,750/-	<b>1500 SQ. FT. 30X50</b> Down Payment 5,76,975/- EMI 22,323/- EMI Period 48 Months Total Payment 16,48,500/-
<b>1600 SQ. FT. 40X40</b> Down Payment 6,71,440/- EMI 25,978/- EMI Period 48 Months Total Payment 19,18,400/-	<b>1800 SQ. FT. 45X40</b> Down Payment 7,55,370/- EMI 29,225/- EMI Period 48 Months Total Payment 21,58,200/-	<b>2000 SQ. FT. 40X50</b> Down Payment 7,69,300/- EMI 29,764/- EMI Period 48 Months Total Payment 21,98,000/-	<b>2000 (CORNER) SQ. FT. 40X50</b> Down Payment 8,39,300/- EMI 32,472/- EMI Period 48 Months Total Payment 23,98,000/-
<b>2250 (CORNER) SQ. FT. 45X50</b> Down Payment 86,9,325/- EMI 31,474/- EMI Period 60 Months Total Payment 26,97,750/-	<b>2400 (CORNER) SQ. FT. 40X60</b> Down Payment 8,63,280/- EMI 33,572/- EMI Period 60 Months Total Payment 28,77,600/-	<b>3000 (CORNER) SQ. FT. 50X60</b> Down Payment 10,79,100/- EMI 41,965/- EMI Period 60 Months Total Payment 35,97,000/-	





DEVELOPED BY  
**LUXURIOUS GREEN CITY PVT. LTD.**  
 4th Floor, The Park Hotel, Connaught Place  
 New Delhi - 110021, India  
 Phone: 011-2610-0728

**HM**  
 GREEN CITY



# ALMAS ENCLAVE

मात्र

नॉन कॉर्नर प्लॉट ₹1399/-

कॉर्नर प्लॉट ₹1499/-



DR. 5/7/17

**HM**  
**GREEN**  
**CITY**

DATE: 14/1/17  
LUCKNOW: **GREENCITY PVT. LTD.**  
1102, 3/7th Cross Street, 11th Cross Road,  
Opp. Park Street, Lucknow.  
E-mail: [info@greencity.com](mailto:info@greencity.com)

ONLY\*

NON CORNER PLOT ₹999/-  
CORNER PLOT ₹1099/-



4th Floor, Kowloon

MY Home

